संख्या- 161/2015/886/22-4-15-48(75)/15

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 11 अगस्त, 2015

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद्व बन्दियों को अपने परिजनों से दूरभाष पर बात करने की सुविधा प्रदान किये जाने के अन्तर्गत पीसीओ के संचालन हेतु दिशा-निर्देश (गाइड लाइन) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-22742/आधु0-1/पीसीओ/2015, दिनांक 9.7.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की कारागारों में निरूद्व बन्दियों को अपने परिजनों से दूरभाष पर बात करने की सुविधा प्रदान किये जाने के अन्तर्गत पीसीओ के संचालन हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देशों (गाइड लाइन) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

1- प्रदेश की कारागारों में निरूद्व बन्दियों को प्रथम चरण में अपने परिजनों से देश के अन्दर सप्ताह में एक बार 05 मिनट की अवधि के लिए बात करने की सुविधा प्रदान की जायेगी। कालांतर में महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी आवृत्ति बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।

2- निर्धारित 05 मिनट की अवधि के लिए अनुमन्य सुविधा के अतिरिक्त आकस्मिक तौर पर बात करने की आवश्यकता होने पर महानिरीक्षक कारागार की पूर्व अनुमति से सप्ताह में एक से अधिक बार वार्ता करायी जा सकेगी तथा इसका विवरण अलग पंजिका में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

3- यह सुविधा ऐसे बन्दियों को प्राप्त होगी, जिनका आचरण विचाराधीन एवं सजावधि के दौरान कारागार में अच्छा रहा है और उन्हे औपचारिक चेतावनी के अतिरिक्त किसी जेल दण्ड से दण्डित न किया गया हो।

4- कारागार में पीसीओ से बात करने के लिए अधिकृत किये गये बंदी द्वारा इस सुविधा का दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित होने पर सुविधा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। इसके लिए कारागार अधीक्षक अधिकृत होंगे।

5- कारागार में प्रवेश के समय ही प्रत्येक बंदी का फोटोग्राफ तथा उसके फिन्गर प्रिन्ट लिए जायेंगे एंव उसके परिजनों(यथा पति/पत्नी, माता, पिता भाई, बहन, पुत्र/पुत्री आदि सम्बन्धियों) के दो दूरभाष नम्बर जो पोस्टपेड होंगे,प्राप्त कर डेटा बेस में संरक्षित किये जायेंगे। उक्त सुविधा हेतु प्रीपेड नम्बर स्वीकार/ग्रहय नहीं होंगे।

6- बंदी द्वारा उपलब्ध कराये गये दोनो दूरभाष नम्बरों की पुष्टि कारागार अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थाने से करायी जायेगी। विकल्प के तौर पर केन्द्रीय कारागार तिहाड़ तथा पंजाब राज्य के कारागारों की भांति बंदी द्वारा जिस परिजन का नम्बर दिया गया है, उससे शपथ पत्र तथा दिये गये पोस्टपेड टेलीफोन के जमा बिल की छायाप्रति प्राप्त की जायेगी तथा सही पाये जाने पर नम्बर को पुष्टिकृत माना जायेगा।

7- टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक बंदी से प्रति काल रू0 5.00 (रूपया पॉच मात्र) की धनराशि ली जायेगी, भले ही बंदी द्वारा निर्धारित पॉच मिनट के अन्तर्गत कम समय में ही क्यों न बात की गयी हो।

8- पीसीओ के माध्यम से बातचीत करने की सुविधा प्राप्त करने हेतु बंदी द्वारा एक बार में अधिकतम रू0 100/- की धनराशि कारापाल के पास जमा की जा सकेगी। बंदी द्वारा रू0 100/- की सीमा तक ही पुन: धनराशि जमा की सकेगी। कारापाल द्वारा इस धनराशि का बीएसएनएल द्वारा साफ्टवेयर में की गयी व्यवस्था के अनुसार सुव्यस्थित रख-रखाव किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- कार्यदायी संस्था बीएसएनएल द्वारा पीसीओ संचालन हेतु संरचित साफ्टवेयर द्वारा सम्पूर्ण व्यवस्था को संचालित कराया जायेगा। पूर्ण विश्वसनीयता के साथ स्थापित क्योस्क से जेल अधीक्षक द्वारा बात करने हेतु अधिकृत किये गये बंदी के पुष्टित दोनों पोस्टपेड नम्बरों तथा उसकी अंगुलियों के निशान फोटोग्राफ के साथ साफ्टवेयर में फीड किये जायेंगे। बंदी द्वारा क्योस्क मशीन में निर्धारित स्थान पर अंगुली रखने पर दोनों नम्बर फलैश होंगे तथा उनमें से किसी भी नम्बर को टच करने पर कनेक्टिीविटी स्थापित हो जायेगी तथा यह कनेक्टिीविटी पॉच मिनट बाद स्वत: विच्छेदित हो जायेगी।

10- बीएसएनएल द्वारा क्योस्क मशीन में बंदी स्मार्ट कार्ड का प्रावधान भी किया जायेगा। क्योस्क मशीन में अंगुली रखने पर नम्बर फलैश होने तथा कनेक्टिीविटी स्थापित तथा विच्छेदित होने की व्यवस्था स्मार्ट कार्ड स्वैप करने पर भी हो, सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त स्मार्ट कार्ड को स्वैप करने पर बंदी को उसकी सभी वैयक्तिक सूचनाओं के साथ उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि की उपलब्धता व व्यय विवरण एवं उसकी वार्ता हेतु आगामी अनुमन्य तिथि आदि की सूचनाएं उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही कारागार विभाग द्वारा बताये जाने पर इसे कस्टमाइज भी किया जायेगा।

11- साफ्टवेयर में वार्ता की रिकार्डिंग की व्यवस्था होगी, जिसमें बंदी के नाम तथा उसके द्वारा की गयी बात का अंकन सेकेण्ड तक की गणना के साथ होगा। मशीन में 03 माह की अवधि के वाइस डेटा को पूर्णतया संरक्षित करने की व्यवस्था की जायेगी।

12- विचाराधीन बन्दी से उसकी निरूद्वि के प्रारम्भ के 15 दिनों तक अथवा दो बार टेलीफोन से बात करने की सुविधा के लिए निर्धारित धनराशि नहीं ली जायेगी।

13- कारागार में स्थापित टेलीफोन बूथ का सीधा नियंत्रण कारागार के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/कारापाल आदि में निहित होगा। यदि बन्दी द्वारा की जा रही बातचीत में ऐसा तथ्य प्रकाश में आता है, जिससे जेल की सुरक्षा को खतरा हो तो तैनात कर्मचारी द्वारा तत्काल वार्ता को विच्छेदित कर इसकी लिखित सूचना अधिकारी को दी जायेगी। परीक्षण के उपरान्त यदि अनियमितता प्रमाणित होती है तो सम्बन्धित बंदी को भविष्य के लिए दूरभाष पर बात करने की सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा तथा बन्दी के विरूद्व जेल अपराध दर्ज कर नियमानुसार उसके विरूद्व दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जिसकी प्रविष्टि बन्दी के हिस्ट्री टिकट में की जायेगी।

14- ऐसे बन्दी जो निम्नलिखित अधिनियमों एवं धाराओं में सिद्वदोष ठहराये गये हों उन्हे दूरभाष की सुविधा से वंचित रखा जायेगा :-

(1) जिन्हे न्यायालय द्वारा उ0प्र0 जेल नियमावली के नियम-286(ए से एच) के अधीन आभ्यासिक अपराधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो (अभ्यस्त अपराधी)।

(2) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973(1973 का सं0-46)।

(3) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का सं0-52)।

(4) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, (1980 का सं0-65)।

(5) आंतकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987(1987 का सं0-28) निरसित अधिनियम।

(6) विस्फोट अधिनियम, 1884

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in